उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–सा–3–785 / दस–2006–301 / 2000
लखनऊ : दिनॉक : 26 जून, 2006

कार्यालय – ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–235 / दस–2006–301 / 2000 दिनॉक : 28 मार्च, 2006 जिसके द्वारा महँगाई राहत की एक किश्त 01 जुलाई, 2005 से स्वीकृति की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त सन्दर्भित कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2006 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए 01 जनवरी, 2006 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 03 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1517 / दस–2005–308 / 2004, दिनॉक : 22 सितम्बर, 2005 तथा कार्यालय– ज्ञाप संख्या–सा–3–1746 / दस–2005–308 / 2004 दिनॉक : 02 दिसम्बर, 2005 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–351 / दस–2006 दिनॉक : 31 जनवरी, 2006 के माध्यम से दिनांक 01.04.2004 से पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महँगाई राहत, महँगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित कर दिये जाने के कारण पेंशन तथा महँगाई पेंशन यदि कोई है, के योग पर अनुमन्य महँगाई राहत की वर्तमान 21 प्रतिशत की दर बढ़कर 24 प्रतिशत हो जायेगी।

3– महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4– यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों,

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No-Sa-3-785/X-2006-301/2000
Dater : Lucknow : 26 June, 2006

Office Memorandum

Subject-Grant of dearness relief to State Government's civil/ family pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office's memorandum no. Sa-3-235/X- 2006-301/2000, dated March 28, 2006 on the above-mentioned subject, sanctioning additional instalment of dearness relief with effect from July 01, 2005 and to say that the Governor is pleased to further enhance by 03 percent, with effect from January 01, 2006, the rate of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.

2- As a consequence of the above-mentioned 03 percent rise in the dearness relief and with the conversion of dearness relief equal to 50 percent of the pension into dearness pension vide office memorandum no. Sa -3-1517/X-2005- 308/2004, dated 22 September, 2005, no. Sa -3-1746/X-2005-308/2004, dated December 02, 2005 and no. Sa -3-151-2006-308/2004, dated January 31, 2006, the rate of dearness relief payable on the sum of pension and dearness pension, if any, will rise from existing 21 to 24 percent with effect from 01 January, 2006.

3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to the

स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में भी अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं।

Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings/ corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners are also being issued separately.

5– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5- These orders will also be applicable to pensioners of institutions aided from State Fund, under the education/technical education departments, whose pension/family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6– शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस–10(3)–81, दिनॉक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार – पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय– ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- As per orders issued in O.M. no.A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of additional relief on pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

7– महँगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव–।।

(Manjit Singh)
Principal Secretary-II

सेवा में,

उ0प्र0 शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

To

All principal secretaries/secretaries to Government of Uttar Pradesh, heads of departments/offices, all treasury officers and other officers as per previous distribution list.

पी0एस0यू0पी0–ए0 पी0 15 सा0 वित्त–29.6.2006–(598)–12000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।